



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/764

दिनांक: -13/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (14) कम्पनियों का नाम **उत्तर प्रदेश** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9668759	U96092UP2023PTC189457	पॉज़वेल प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9429940	U55101UP2023OPC182900	एरिनी हॉस्पिटैलिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9543994	U68100UP2023PTC177557	रॉयलॉक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9609799	U15490UP2022PTC169713	कॉग्निट्स एलियांज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9370171	U72900UP2022PTC167407	रिवोल्यूशनरी ए 2 वी एम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA9323093	U18202UP2021PTC154533	ब्रैमी फैशनटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	AA9462082	U45201UP2021PTC147010	कैली कार्टेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8297751	U45203UP2019PTC120796	कोयेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AA9403090	U51909UP2017PTC089419	एलीक्योर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA9464210	U93090UP2018PTC106245	क्रिकोनाॅमिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AA9444875	U74999UP2021PTC155795	आर्मर सर्विसेज एंड मैनेपावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA9491712	U74999UP2021FTC141005	बेटैलेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AA9672933	U45309UP2020PTC135262	एयरबुल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
14	AA9468300	U40300UP2015PTC072371	मिएको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0381/2425